

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) त्वरित न्यायालय/ए0सी0जे0एम0, बरेली
उ0प्र0 राज्य बनाम आशीष दूबे (वादी मुकदमा)
मु0अ0सं0 781/2000
धारा 323,504,506 भा0दं0सं0
थाना सुभाषनगर, जिला बरेली।

आदेश

दिनांक- 01.10.2022

आज यह अंतिम आख्या/प्रकीर्ण वाद मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुकार पर न्यायालय में वादी मुकदमा उपस्थित नहीं है। प्रकीर्ण वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में वादी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था जो वादी मुकदमा पर बजात खास तामील है परंतु अब तक वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है व न ही किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकीर्ण वाद (अंतिम आख्या) विगत कई वर्षों से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा को अंतिम आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है। वादी को मुकदमा उपरोक्त में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। अंतिम आख्या के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दाखिल अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्वेषण में कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

सिविल जज सी0डि0(त्वरित न्यायालय)/ए0सी0जे0एम0
बरेली।